



क.रा.बी.नि.
E. S. I. C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE
पंचदीप भवन, सेक्टर 19-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़- 160019
PANCHDEEP BHAWAN, SECTOR 19-A, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160019
Phone-0172-2544126, Email: rd-punjab@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in /www.esic.in

संख्या- A-33015/7/2022-Admin (34084)

दिनांक- 01.01.2026

वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या 01 / OFFICE ORDER NO. 01 OF 2026

सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 16.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर निम्नलिखित कर्मचारियों को नियमित आधार पर सहायक/प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नति देने के आदेश दिए हैं :-

The Competent Authority has ordered the promotion of the following official to the post of **Assistant/Head Clerk** on **regular basis** on the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held on 16.12.2025 :-

क्र.सं./ S.no.	वर्ष 2017-18 के लिए प्र.श्रे.लि. की वरिष्ठता सूचि में क्रमांक / Sr. No. in Seniority list of UDC for the yr. 2017-18	कर्मचारी का नाम व पदनाम / Name of the Official and Desig. सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री / Sh/Smt/Ku.	श्रेणी/Category	चयनित श्रेणी/Recommended Category	वर्तमान तैनाती / Present Posting
1	122	अदित मान सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक	OBC	UR	शाखा कार्यालय मोहाली
	वर्ष 2020 के लिए प्र.श्रे.लि. की वरिष्ठता सूचि में क्रमांक / Sr. No. in Seniority list of UDC for the yr. 2020				
2	47	नेहा भारद्वाज, प्रवर श्रेणी लिपिक	OBC/PH	UR (PH)	क्षे.का चंडीगढ़

उपर्युक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति, पदोन्नति की स्वीकृति के अध्यक्षीय पदोन्नत पद पर शामिल होने की तारीख से प्रभावी होगी।

The regular promotion of the above officials will take effect from the date of joining on the promoted post subject to acceptance of the promotion.

पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में तय किया जाएगा। पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर 22 (आई) (ए) (1) के तहत वेतन के निर्धारण के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। जो कर्मचारी वर्तमान में तदर्थ आधार पर सहायक/मुख्य लिपिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे तदर्थ आधार पर अपनी पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

The pay of the promoted officials will be fixed in **Level-6** of the pay matrix of the 7th pay commission. The promoted official may exercise their option for fixation of pay under FR 22(I)(a)(1) within one month from the date of promotion.

कृपया ध्यान दें कि यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति को अस्वीकार कर देता है, तो उसे एक वर्ष की अवधि के लिए नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा और जिसके परिणामस्वरूप उसकी वरिष्ठता की हानि होगी और अन्य कनिष्ठ कर्मचारी मुख्य लिपिक / सहायक के पद पर उपरोक्त कर्मचारी की अगली पदोन्नति से पहले नियमित आधार पर पदोन्नत किए गए अन्य जूनियर कर्मचारी उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे।

Kindly note that if an Official decline the promotion, he/she will not be considered for regular promotion for a period of one year and resulting in loss of his/her seniority and the other junior officials promoted on regular basis prior to the next promotion of the above Officials to the post of **Head Clerk/Assistant** will become senior to them.

उपर्युक्त कर्मचारियों की पदोन्नति विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 30621/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेशों और माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा द्वारा सी.डब्ल्यू.पी सं.13218/2009 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2011 और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के फैसले दिनांक 23-8-17, ओ.ए. संख्या 060/1294/2021- विवेक कुमार बनाम निगम व अन्य संबंधित न्यायिक मामलों में आने वाले अग्रिम आदेशों के अध्यक्षीय होगी।

The promotion of the above officials will be subject to further orders passed by the Hon'ble Supreme Court in Special Leave Appeal (C) no. 30621/2011 arising out of final

judgement and order dated 15.7.2011 in CWP no. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.8.17, Subject to outcome of OA No. 060/1294/2021 titled Vivek Kumar Vs ESIC and other related court cases.

उपरोक्त कर्मचारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्य करेंगे। उपरोक्त कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

The above officials will work at their present place of posting till further orders. Posting Orders of the above officials will be issued later on.

उपरोक्त कर्मचारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट सभी संबंधितों को अग्रहित की जाए।

The joining report of the above officials may be forwarded to all the concerned.

Digitally signed by

Pargat Singh

Date: 01-01-2026

10:44:05

उप-निदेशक (प्रशा.) / DY. DIRECTOR (ADMN)

सेवा में, / To,

संबंधित कर्मचारी / The Official concerned.

प्रतिलिपि / CC:

1. महानिदेशक (स्था-2), क.रा.बी.नि, सी.आई.जी मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र सं. ए-33/19/49/2022-स्था-2 दिनांक 10.11.2025 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित है। / The Director General (E-2), ESIC, CIG Marg, New Delhi w.r.t. Hqrs. letter no. A-33/19/49/2022-E-2 dated 10.11.2025 for information.
2. संबंधित शाखा/ शाखा कार्यालय/ नोडल अधिकारी(बायोमेट्रिक)/ नोडल अधिकारी(ई-ऑफिस)/सतर्कता शाखा/भर्ती शाखा/ निजी फाईल/ का. आदेश फाईल, क.रा.बी.नि, क्षे.का. पंजाब । Concerned Branch/ BO/ Nodal officer (biometric)/ Nodal Officer (E-office)/ Vigilance branch/Rectt. branch/ P.File/ Office Order File , ESIC, RO, Punjab